

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या: 18/2021 दायर दिनांक 01.02.2021

वादी

1. जान मो0 पुत्र फकरू खां उम्र 29 वर्ष जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।



प्रतिवादीगण

1. मो0 अली पुत्र फकरू खां उम्र 47 वर्ष
2. उमर फारुक खां शैरानी पुत्र फकरू खां उम्र 39 वर्ष
3. अब्दुल रसीद पुत्र फकरू खां उम्र 34 वर्ष
4. चान्द मो0 पुत्र फकरू खां उम्र 32 वर्ष
5. अ0 सतार पुत्र फकरू खां उम्र 23 वर्ष
6. सलाउदीन पुत्र फकरू खां उम्र 19 वर्ष
7. मेमुना पुत्री फकरू खां उम्र 45 वर्ष
8. सकीना पुत्री फकरू खां उम्र 42 वर्ष
9. अमीना पुत्री फकरू खां उम्र 37 वर्ष
10. बरकत उर्फ बाना पुत्री फकरू खां उम्र 35 वर्ष
11. रहमत पुत्री फकरू खां उम्र 27 वर्ष
12. हसीना पुत्री फकरू खां उम्र 25 वर्ष
13. बिस्मिला पत्नि फकरू खां
14. मोहम्मद खां उर्फ ममदू खां पुत्र मोरीदीन खां उम्र 65 वर्ष
15. सकीना पत्नि कासमदीन उम्र 70 वर्ष
16. हुसैन पुत्र लाल खां उम्र 45 वर्ष
17. मोहब्बत लाल खां उम्र 42 वर्ष
18. अहमद अली लाल खां उम्र 40 वर्ष
19. मो0 अली लाल खां उम्र 35 वर्ष
20. मो0 आरिफ लाल खां उम्र 30 वर्ष
21. सुलेमान पुत्र गनी खां उम्र 50 वर्ष
22. लुकमान पुत्र गनी खां उम्र 47 वर्ष
23. फातमा पुत्री गनी खां उम्र 60 वर्ष
24. जैना पुत्र गनी खां उम्र 55 वर्ष
25. ऐमना पुत्र गनी खां उम्र 51 वर्ष
26. शकीना पुत्री गनी खां उम्र 48 वर्ष समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
27. ग्राम पंचायत शैरानी आबाद।
28. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा=88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री शरीफ शैरानी वकील, वादी।
2. श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 14.05.2022

वादी का खातेदारी वाके सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 24.08.2021 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।




  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 918 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 918 दिनांक 20.04.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शौरानी आबाद के खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 918 दिनांक 20.04.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 918 दिनांक 20.04.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा) क्लर्क  
R.A.S.  
डीडवाना (नागौर)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
(कार्तिकेय मीणा) क्लर्क  
R.A.S.  
डीडवाना (नागौर)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

डिक्री वमुकदमें इब्दाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 18/2021

दायर दिनांक 01.02.2021

वादी

1. जान मो0 पुत्र फकरू खां उम्र 29 वर्ष जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. मो0 अली पुत्र फकरू खां उम्र 47 वर्ष
2. उमर फारुक खां शैरानी पुत्र फकरू खां उम्र 39 वर्ष
3. अब्दुल रसीद पुत्र फकरू खां उम्र 34 वर्ष
4. चान्द मो0 पुत्र फकरू खां उम्र 32 वर्ष
5. अ0 सतार पुत्र फकरू खां उम्र 23 वर्ष
6. सलाउदीन पुत्र फकरू खां उम्र 19 वर्ष
7. मेमुना पुत्री फकरू खां उम्र 45 वर्ष
8. सकीना पुत्री फकरू खां उम्र 42 वर्ष
9. अमीना पुत्री फकरू खां उम्र 37 वर्ष
10. बरकत उर्फ बाना पुत्री फकरू खां उम्र 35 वर्ष
11. रहमत पुत्री फकरू खां उम्र 27 वर्ष
12. हसीना पुत्री फकरू खां उम्र 25 वर्ष
13. बिस्मिला पत्नि फकरू खां
14. मोहम्मद खां उर्फ ममदू खां पुत्र मोरीदीन खां उम्र 65 वर्ष
15. सकिना पत्नि कासमदीन उम्र 70 वर्ष
16. हुसैन पुत्र लाल खां उम्र 45 वर्ष
17. मोहब्बत लाल खां उम्र 42 वर्ष
18. अहमद अली लाल खां उम्र 40 वर्ष
19. मो0 अली लाल खां उम्र 35 वर्ष
20. मो0 आरिफ लाल खां उम्र 30 वर्ष
21. सुलेमान पुत्र गनी खां उम्र 50 वर्ष
22. लुकमान पुत्र गनी खां उम्र 47 वर्ष
23. फातमा पुत्री गनी खां उम्र 60 वर्ष
24. जैना पुत्र गनी खां उम्र 55 वर्ष
25. ऐमना पुत्र गनी खां उम्र 51 वर्ष
26. शकीना पुत्री गनी खां उम्र 48 वर्ष समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
27. ग्राम पंचायत शैरानी आबाद।
28. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्


दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.


दिनांक 14.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शैरानी वकील, वादी व श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 918 दिनांक 20.04.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 918 दिनांक 20.04.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
 ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा  
 करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को राष्ट्रीय  
 लोक अदालत में जारी की गयी।

  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (नामौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये  
 दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (नामौर)